

# न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला-गंगापुर सिटी

गु.नं. :95 / 2024

तारीख रजू 21.10.2024

निर्णय दिनांक 29.10.2024

सरकार बनाम लोकेश

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाढकला ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि लोकेश पुत्र जगमोहन जाति माली नियासी बाढ विघला, गंगापुर सिटी ने ग्राम बाढ विघला के खसरा नं. 136 कुल रकबा 0.12 है0 किरग गै0गु0 चारागाह पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर व जोतकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा है अतः इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।


उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जाकर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावे एवं इन पर लगान 1.80/- की 50 गुना शास्ति 90/-रुपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को वेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवे। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर "घ" के पेज संख्या .....  
पर रुपये 90/- की कायमी वर्ष  
2024-25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

  
(सुधारानी मीना)  
तहसीलदार  
गंगापुर सिटी